

उत्तराखण्डशासन
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7
संख्या 16 / XXVII(7)02/2012
देहरादून, दिनांक 21 जनवरी, 2012

Government of Uttarakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO- 16 /XXVII(7)02/2012
Dehradun : Dated 21 January, 2012

कार्यालय ज्ञाप

Office Memorandum

विषय: राज्य सरकार के अपनरोक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

Subject: Grant of Dearness Relief to state Government Pre revised Civil /Family Pensioners.

अध्याहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 224/XXVII(7)02/2011 दिनांक 30 सितम्बर, 2011 द्वारा दिनांक 01-01-2011 से महंगाई राहत की 115 प्रतिशत की एक किस्त स्वीकृत की गई थी के क्रम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त अपनरोक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभाक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 सितम्बर, 2011 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2011 से 127 प्रतिशत, दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-224/XXVII(7)02/2011, dated: 30 September, 2011 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01-01-2011 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all pre revised civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of with effect from 01 July, 2011 to 127 % in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 30 September, 2011 referred to above.

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्त्र है पर भी लागू होंगे।

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the state Government.

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/वस/10(3)-81 दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनदेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।


6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(हिमलता धोंडियाल)
सचिव

(Hemlata Dhondhiyal)
Secretary

16 (1)
संख्या / XXVII(7)02/2012, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित।


- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं
मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाये, उत्तराखण्ड।
- 5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड,
माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय
से प्रेषित कि राज्य के गहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां
उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के
साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित
कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- निदेशक, एन० आई० सी०, देहरादून।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

16 (1)
No. /XXVII(7)02/2012, the date

Copy forwarded to following for information and
necessary action.

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries
- 2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand
- 3- Regional Additional Director Treasury and
Pension Garhwal/ Kumaon Divesion.
- 4- Director, Treasury and Finance services,
Uttrakhand.
- 5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy
Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun
along with 50 extra copies with the request that
account officers of other states be also informed
please.
- 6- All Treasury Officers, Uttrakhand.
- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with
request that 500 copies of this G.O. be got
printed and sent to the Govt. please.
- 8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C. Pandey)
Addl. Secretary